

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 27.02.2023**

**थाना कर्नैलगंज क्षेत्र के अंतर्गत चोरी के दौरान हुई फायरिंग से दो व्यक्तियों के घायल होने की घटना का खुलासा-**

**दो अभियुक्त गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी किए गए जेवरात दो अवैध असलहा मय कारतूस व एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद-**

**अभियुक्त ज्ञानचन्द्र पासी के विरुद्ध 42 अभियोग व अभियुक्त जंगबहादुर उर्फ जंगू के विरुद्ध 13 मुकदमें है पंजीकृत-**

दिनांक 24.02.2023 को थाना कर्नैलगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में चोरी करने आए चार अज्ञात चोरों को परिवार व गांव वालों द्वारा घेराबंदी करने पर चोरों द्वारा फायरिंग की गई जिसमें 2 लोग घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है जिसके सम्बन्ध में हरीत कुमार मिश्र पुत्र स्व० श्री कृष्ण नारायण निवासी धमसड़ा थाना कोतवाली कर्नैलगंज द्वारा सूचना दी गयी उक्त सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में घटना का सफल अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी कर्नैलगंज नवीना शुक्ला के नेतृत्व में थाना कर्नैलगंज, थाना कटराबाजार व एस०ओ०जी० की सयुक्त टीमें गठित की गयी थी।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 27.02.2023 को थाना कर्नैलगंज, थाना कटराबाजार व एस०ओ०जी० की सयुक्त टीम द्वारा पतारसी- सुरागरसी करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर थाना कर्नैलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत चोरी करने वाले 02 आरोपी अभियुक्त 01. ज्ञानचन्द्र पासी 02. जंगबहादुर उर्फ जंगू को पुलिस मुठभेड़ में प्राथमिक विद्यालय दत्तनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। तथा उनके कब्जे से 03 अदद अगूठी(पीली धातु), 06 जोड़ी पायल(सफेद धातु), 01 अदद मंगल सूत्र(पीली धातु), 01 अदद थाली(सफेद धातु), 01 नारियल (सफेद धातु), 01 अदद सुपाड़ी(सफेद धातु), 02 अदद कट्टा, चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल पैशन प्रो(कूटरचित नं० प्लेट लगी हुई) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कर्नैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी। अभियुक्त ज्ञानचन्द्र पासी के विरुद्ध 42 मुकदमें व अभियुक्त जंगबहादुर उर्फ जंगू के विरुद्ध 13 मुकदमें पंजीकृत है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. ज्ञान चन्द्र पासी पुत्र शिव प्रसाद निवासी ग्राम राजपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा
02. जंग बहादुर उर्फ जंगू पुत्र हिरई निवासी ग्राम राजापुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा

### अनावरित अभियोग-

01. मु०अ०स०- 90/2023 धारा 460,380, 342, 420,467, 468,471 भादवि थाना कर्नेलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०स०- 17/2023 धारा 382, 457 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०स० -78/2023 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग

01. मु०अ०स० 97/2023, धारा 307 भादवि व 3/25 आर्मस एक्ट थाना कर्नेलगंज जनपद गोण्डा।

### बरामदगी-

01. 03 अदद अगूठी (पीली धातु)
02. 06 जोड़ी पायल (सफेद धातु)
03. 01 अदद थाली (सफेद धातु)
04. 01 नारियल (सफेद धातु)
05. 01 अदद सुपाड़ी (सफेद धातु)
06. 01 अदद मंगलसूत्र (पीली धातु)
07. 7000/-रूपया नगद
08. 02 अदद तमंचा 315 बोर
09. 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस
10. चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल पैशन प्रो (कूट रचित न० प्लेट लगी हुई)

### गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह मय टीम थाना कर्नेलगंज गोण्डा।
02. प्रभारी एस०ओ०जी० संतोष कुमार सिंह मय टीम जनपद गोण्डा।
03. उ०नि० सरफराज मय टीम थाना कटराबाजार गोण्डा।

### अभियुक्त ज्ञान चन्द्र पासी पुत्र शिव प्रसाद निवासी ग्राम राजपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा का अपराधिक इतिहास

01. मु०अ०स० 113/96 धारा 394/411 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
02. मु०अ०स० 174/96 धारा 307 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
03. मु०अ०स० 14/97 धारा 307 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
04. मु०अ०स० 27/97 धारा 3(1) यूपी गैगस्टर एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
05. मु०अ०स० 91/97 धारा 380/411 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
06. मु०अ०स० 70/97 धारा 3(1) यूपी गैगस्टर एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
07. मु०अ०स० 50/99 धारा 457/380 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
08. मु०अ०स० 82/99 धारा 496/412 आईपीसी (प्रकाश में थाना परसपुर) थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

09. मु0अ0सं0 152/99 धारा 457/380/411 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
10. मु0अ0सं0 21/2000 धारा 307 आईपीसी व 7(3) अमेद एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
11. मु0अ0सं0 22/2000 धारा 307 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
12. मु0अ0सं0 91/2000 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
13. मु0अ0सं0 92/2000 धारा 8/18 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
14. मु0अ0सं0 92/2002 धारा 302 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
15. मु0अ0सं0 93/2002 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
16. मु0अ0सं0 निल/2002 धारा 41/411 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
17. मु0अ0सं0 44/2002 धारा 3 (1) यूपी गैगस्टर एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
18. मु0अ0सं0 45/2002 धारा 110 सीआरपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
19. मु0अ0सं0 53/2002 धारा 459/411 थाना कटराबाजार गोण्डा ।
20. मु0अ0सं0 107/2002 धारा 379 आईपीसी थाना रामनगर जनपद बराबंकी ।
21. मु0अ0सं0 निल/2002 धारा 41/411 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
22. मु0अ0सं0 45/2002 धारा 394/397/411 आईपीसी व 3(1) यूपी गैगस्टर एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
23. मु0अ0सं0 46/2003 धारा 307 आईपीसी व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
24. मु0अ0सं0 290/09 धारा 396 आईपीसी थाना हुजुरपुर बहराइच
25. मु0अ0सं0 327/09 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
26. मु0अ0सं0 174/10 धारा 110 सीआरपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
27. मु0अ0सं0 175/10 धारा 3(1) यूपी गैगस्टर एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
28. मु0अ0सं0 150/09 धारा 110 सीआरपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
29. मु0अ0सं0 175/10 धारा 3 (1) यूपी गैगस्टर एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
30. मु0अ0सं0 174/10 धारा 110 सीआरपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
31. मु0अ0सं0 148/11 धारा 307/323/504/506 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
32. मु0अ0सं0 118/14 धारा 147/148/149/452/323/427 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
33. मु0अ0सं0 31/15 धारा 379/411 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
34. मु0अ0सं0 170/16 धारा 307/302 आईपीसी प्रकाश में परसपुर गोण्डा
35. मु0अ0सं0 152/17 धारा 457/380 आईपीसी प्रकाश में थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
36. मु0अ0सं0 338/16 धारा 307 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
37. मु0अ0सं0 220/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
38. मु0अ0सं0 217/19 धारा 458/380/411 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
39. मु0अ0सं0 260/09 धारा 396/412 आईपीसी थाना हुजुरपुर जनपद बहराइच ।
40. मु0अ0सं0 217/2022 धारा 457/580 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
41. मु0अ0सं0 219/2022 धारा 457/380 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
42. मु0अ0सं0 327/2022 धारा 457/380 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

**अभियुक्त जंग बहादुर उर्फ जंगू पुत्र हिरई निवासी ग्राम राजापुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा का अपराधिक इतिहास**

01. मु0अ0सं0 226/75 धारा 457/380 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
02. मु0अ0सं0 240/75 धारा 457/380 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
03. मु0अ0सं0 19/80 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
04. मु0अ0सं0 143/83 धारा 457/380 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
05. मु0अ0सं0 154/84 धारा 436 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
06. मु0अ0सं0 66/87 धारा 395/397 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
07. मु0अ0सं0 65/93 धारा 394 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
08. मु0अ0सं0 108/92 धारा 380 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
09. मु0अ0सं0 140/92 धारा 380/411 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
10. मु0अ0सं0 245/93 धारा ¾ गुण्डा अधिनियम थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
11. मु0अ0सं0 08/98 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
12. मु0अ0सं0 143/2000 धारा 110 सीआरपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।
13. मु0अ0सं0 118/14 धारा 147/148/149/452/323/427 आईपीसी थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 27.02.2023**

### **शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-14 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### **06 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-**

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना परसपुर पुलिस ने 03, थाना धानेपुर पुलिस ने 01, थाना को0देहात पुलिस ने 01, थाना इटियाथोक पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

### **अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-**

#### **01. थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. बृजलाल पुत्र सुखलाल निवासी ग्राम टेड़िया मौजा गढ़वलिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 57/23, 02. घनश्याम सोनकर पुत्र स्व0 जियाराम सोनकर नि0ग्रा0 खिरवा मौजा खिरई खिरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0स0 58/2023, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### **02. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. विक्रम निषाद पुत्र लालता निषाद निवासी जैतपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा व फूलचन्द पुत्र भगवत प्रसाद निवासी जैतपुर माझा थाना नवाबगंज गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 92/23, 02. राम सजीवन पुत्र ननकन निवासी ग्राम जैतपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0स0 93/2023, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 27.02.2023**

**नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ गैंग दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस ने नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ गैंग दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त राजेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अभियुक्त ने थाना धानेपुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भाग ले गया था तथा किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना धानेपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर में विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. राजेश वर्मा पुत्र रामनारायन उर्फ लोकई निवासी ग्राम रमवापुर श्याम गड़रियनपुरवा थाना को0देहात जनपद गोंडा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-20/2023, धारा 376D, 363, 370, 344, 506 भादवि व 5L/6 पॉक्सो ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ0नि0 संतोष कुमार मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 27.02.2023**

**चोरी करने का शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 4200/-रूपय नगद व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित/प्रकाश में आए अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0नगर पुलिस ने मु0अ0सं0-157/23, धारा 380, 457, 411 भादवि व मु0अ0सं0 176/2023 धारा 379, 411 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मुखबिर खास की सूचना पर चोरी करने का अभियुक्त सोनू खान को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके कब्जे से 4200/-रूपये नगद व चोरी का 01 अदद मोटरसाइकिल होण्डा साइन रजि0न0 – UP43X6861 बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत मोटरसाकिल व कुछ घरों में चोरी किया था जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना को0नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

01. सोनू खान पुत्र बफाती खान निवासी म0नं0 173/167 मो0 इमामबाड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग**

01. मु0अ0सं0 157/2023 धारा 380, 457, 411 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद गोंडा ।

02. मु0अ0सं0 176/2023 धारा 379, 411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा ।

**बरामदगी**

01. चोरी का 01 अदद होण्डा साइन मो0सा0 नं0 UP 43 X 6861

02. चोरी का 4200/- रू0 नगद बरामद।

**गिरफ्तारकर्ता टीम:-**

उ0नि0 श्री बब्बन सिंह मय टीम थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

**अपराधिक इतिहास**

01. मु0अ0सं0 560/2017 धारा 41/109 सी0आर0पी0सी0 थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

01. मु0अ0सं0 632/2017 धारा 380, 511 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

02. मु0अ0सं0 489/2020 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कोतवाली नगर गोण्डा।